उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

राज्यसात अपील वाद संख्या-18/2019
संजय कुमार
–बनाम–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
दिनांक :- 20/02/2023	प्रस्तुत मामला सक्षम प्राधिकार–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी,, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल द्वारा राज्यसात वाद संख्या 52/2018 (जी0एफ0 न0 528/2018) में दिनांक 03.12.2029 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलवाद दायर है। अपीलार्थी संजय कुमार के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील आवेदन समर्पित कर राज्यसात वाद संख्या 52/2018 में सक्षम प्राधिकार–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल द्वारा दिनांक 03.12.2019 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। वाद का सारांश यह है कि दिनांक 18.09.2018 को श्री राजेन्द्र कुमार, वनरक्षी एवं उनके सहयोगियों द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर घटना स्थल सक्रेज वन थाना–बरकट्ठा, थाना संख्या–82 के प्लॉट संख्या–27 एवं 56 है, जो अधिसूचित वन भूमि है, पर देखा गया कि अभियुक्तों द्वारा वन भूमि पर छोटे–छोटे 40 यूक्लिप्टस के पौधों को नष्ट किया गया तथा 12 फीट चौडा एवं 502 मीटर लम्बा पथ का निर्माण किया गया जो सक्रेज वन के प्लॉट संख्या 27 में पडता है। इसके पश्चात हाईड्रा क्रेन से पाईप भण्डारित करने हेतु उसे सक्रेज वन के प्लॉट संख्या 56 में ले जाया गया जहां मोटे–मोटे 7 पीस पाईप को भण्डारित किया जा रहा था। इस गैर वानिकी कार्य के लिए अभियुक्तों द्वारा समक्ष पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। इस आरोप में भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा–33 , 33 सी0 के अपराध में एक हाईड्रा क्रेन जिसका निबंधन संख्या JH2AN-4215 को जप्त करते हुए जप्ती सूची तैयार की गई। वनरक्षी द्वारा निर्गत अपराध प्रतिवेदन एवं जप्ती सूची के आधार पर वन परिसर पदाधिकारी	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

के न्यायालय में वन वाद दर्ज किया गया जिसका वन वाद संख्या जी0 एफ0 528/2018 है। जिसके क्रम में निम्न न्यायालय में राज्यसात वाद संख्या 52/2018 प्रारम्भ किया गया।

निम्न न्यायालय में सुनवाई के उपरान्त उक्त हाईड्रा क्रेन को भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 1989) की धारा–52 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर अधिहरित करने का आदेश दिया गया।

अपीलार्थी की ओर से दाखिल वकालतन अपील आवेदन का अवलोकन किया गया एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुना अपीलार्थी द्वारा अपना पक्ष रखा गया किः–

1. यह कि अपीलार्थी घटना की तिथि को घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे एवं उक्त वाद में अपीलार्थी को पार्टी नहीं बनाया गया है।
2. उपरोक्त वाद में जप्त वाहन हाईड्रा क्रेन M/S PAN INDIA SOLUTION PVT. LTD. जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत था, उसे अपीलार्थी के द्वारा पाईप लाईन का काम करने के लिए एकरारनामा के अन्तर्गत दिया था।
3. M/S PAN INDIA SOLUTION PVT. LTD. के द्वारा जप्त हाईड्रा क्रेन को डोभी हल्दिया पाईप लाईन प्रोजेक्ट के लिए कार्य हेतु लिया गया था।
4. यह कि हाईड्रा क्रेन भूमि खोदने अथवा समतलीकरण का कार्य नहीं करती है, बल्कि भारी भरकम वस्तु उठाने का काम करती है। इसलिए भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 के तहत वाहन जप्त करना न्यायोचित नहीं है।
5. उपरोक्त वाद में जप्त वाहन घटना स्थल पर पाईप उठाने के उद्देश्य से उसी तिथि 18.09.18 को लाई गई थी, यह सत्य है किन्तु उक्त समय में मेरी गाडी खडी थी यह भी सत्य है, क्योंकि जमीन खोदने का काम जे0सी0बी0 मशीन का था, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ था, अतः मेरी गाड़ी का कार्य अब तक प्रारंभ होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
6. यह कि वाहन मालिक बिना किसी दुर्भावना के अपनी गाडी को भाडे पर जीविकोपार्जन के उद्देश्य से उक्त कम्पनी को दिया था। उक्त गाड़ी वित्तीय कम्पनी से ऋण पर खरीदी गई थी।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

7. यह कि वाहन मालिक सरकार या वन विभाग को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपनी वाहन उक्त कम्पनी को नहीं दिया गया था।
8. निम्न न्यायालय के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 के तहत राज्सात करने हेतु जो आदेश पारित किया गया है, वह नियम संगत नहीं है, का उल्लेख कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया।
9. प्रस्तुत मामले में दिनांक 09.12.2020 को सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी की ओर से अपना पक्ष रखा गया था कि उनके उक्त वाहन के द्वारा GAIL के पाईप लाईन से संबंधित कार्य किया जा रहा था। प्रासंगिक मामले में अन्यक बिन्दु के साथ–साथ मुख्य विचारणीय बिन्दु है कि उक्त पाईप लाईन का कार्य विवाद वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर की जा रही थी अथवा नहीं ? वन अनापत्ति ली गयी है अथवा नहीं ? किस तिथि से निर्गत है एवं घटना किस तिथि की है ? इसके अलावे अपीलार्थी का यह भी दावा है कि उनके जप्त वाहन के द्वारा किसी प्रकार का समतलीकरण कार्य संभव नहीं है। यद्यपि प्रासंगिक कार्य समतलीकरण करने का आरोप लगाया गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध छोट–छोटे पौंधो को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में संबधित वनरक्षी अथवा सक्षम कर्मी के द्वारा फोटोग्राफ/विडियोग्राफी किया गया है अथवा नहीं यह भी उल्लेख नहीं है। यदि घटना स्थल पर नष्ट पौधों का फोटो अथवा विडियोग्राफी किया गया है तो इससे संबंधित साक्ष्य अभिलेख के साथ संलग्न नहीं है। उक्त संबंध में इस न्यायालय से पत्रांक 966/विधि, दिनांक 16.12.2020 तथा पुनः स्मार पत्रांक 344/विधि दिनांक 20.03.2020 के माध्यम से वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल हजारीबाग से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल हजारीबाग के पत्रांक 2112 दिनांक 23.06.2021 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी से प्राप्त उक्त पत्र के साथ सहायक वन संरक्षक, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक 257 दिनांक 16.04.2021 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

संलग्न कर प्रतिवेदित किया गया कि पाइपलाईन का कार्य हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा दिये गये स्वीकृति की तिथि 11.09.2019 है, परन्तु घटना की तिथि उसके पूर्व ही 18.09.2018 है।

सहायक वन सरंक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया, जिसमें उनकी ओर से प्रतिवेदित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 3315 दिनांक 29.07.2016 द्वारा विषयगत परियोजना को 19 शर्तों के साथ स्टेज–1 की सैद्वातिक सहमति दी गई थी। संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण को कार्य करने हेतु ज्ञापांक 5380 दिनांक 11.09.2019 द्वारा आदेश निर्गत किया गया। अपीलार्थी मजदूर के द्वारा वन भूमि को समतलीकरण एवं जप्त वाहन के सहयोग से पौधों को नष्ट करने तथा पाईप को भण्डारित करने का कार्य किया जा रहा था। फोटोग्राफी के संदर्भ में प्रतिवेदित किया गया है कि घटनास्थल पर नष्ट पौधों का फोटोग्राफी नहीं कराई गई है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज तथा प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन/समीक्षा तथा विवेचनोपरान्त ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि अपीलार्थी के वाहन का उपयोग प्रयोक्ता अभिकरण को पाईप लाईन का काम हेतु एकरारनामा पर देने के क्रम में लिया गया है। परन्तु यह भी स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नगत हाईड्रा मशीन से जिस स्थान पर पाईप को भण्डारित किया जा रहा था, वहॉ 40 यूकिलिप्टस पौधों को क्षति पहुंचाया गया था। निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त आलोक में हाईड्रा मशीन को राज्यसात कर देना नैसर्गित न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः सभी तथ्यों पर विवेचनोपरान्त निम्न न्यायालय के आदेश में वर्णित तथ्य एवं आरोप की प्रकृति के आलोक में अपीलार्थी के द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल–सह–सक्षम प्राधिकार ₹50,000 (पचास हजार) रू0 जुर्माना की राशि जमा करने के पश्चात् वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रम0,

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

हजारीबाग जुर्माना राशि प्राप्त होने के उपरान्त वाहन को मुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आशय के साथ प्रस्तुत अपीलवाद को निस्तारित किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजी जाय।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

लेखापित एवं संशोधित

10/2/23

उपायुक्त, हजारीबाग।

10/2/23

उपायुक्त, हजारीबाग।

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.13 17:19:07 +05:30
Location: 192.168.1.3